Title: Further discussion on the motion for consideration of the Electricity Laws (Amendment) Bill, 1998 moved by Shri P.R. Kumaramangalam on the 20th July, 1998. (Not Concluded)
15.34 hrs.

MR. CHAIRMAN : We will now take up further consideration of the motion moved by Shri P.R. Kumaramangalam. Dr. V Saroja was on her feet. She may continue further.

DR. SAROJA V. (RASIPURAM): Hon. Chairman, I am grateful to you for allowing me to continue my speech today on the Bill to amend the Indian Electricity Act, l9l0 and the Electricity Supply Act, l948.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): We will continue this up to five o'clock.

MR. CHAIRMAN: : At four o'clock we have to take up discussion under Rule l93.

DR. T. SUBBARAMI REDDY :By that time we will forget what is spoken.

MR. CHAIRMAN: We will complete this Bill and then go to discussion under Rule l93.

DR. SAROJA V. (RASIPURAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to continue my speech on the Bill to amend the Indian Electricity Act, 1910 and the Electricity (Supply) Act, 1948.

I understand that power system means all aspects of generation, transmission, distribution and supply of energy.

I congratulate the Ministry of Power for bringing radical reforms in tariff system. They have also decided to set up the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and the State Electricity Regulatory Commission (SERC).

In this connection, I would like to point out a few things before this august House.

The aim behind the establishment and operation of Regional and National Power Grids is to facilitate transfer of power within and across the Regions with reliability, security and economy on sound commercial principles.

I also understand that the Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) has successfully negotiated the second World Bank loan worth $ 450 million to strengthen inter-regional transmission links and upgrade its data-base systems.

In this connection, I only wish to point out that the supply and demand is equal in the Northern Region. However, in the case of Eastern Region, the production is 3,440 mega watts and demand is only 1,800 mega watts. There is an excess of 1,000 mega watts. The plant availability factor is 85 per cent and the plant operational efficiency is also more. Moreover, hydro power generation is also more. The State Electricity Boards of the Eastern Region are well prepared to meet the regional requirements. The National Thermal Power Corporation fears that the State Electricity Boards of Eastern Region would slash the withdrawal.

As far as the Southern Region is concerned, the power plant production capacity is 6,000 mega watts, the production is only 2,000 mega watts, and is expected to produce 3,000 mega watts.

I would like to know from the hon. Minister the modalities that the Ministry of Power have formulated to regulate this shortfall as well as the shortage which the Southern States are facing.

Sir, the Electricity Laws (Amendment) Bill was sent to the Select Committee. Now, it has come before this august House for discussion. However, I would like to suggest a few points for the hon. Minister's kind consideration.

The surplus power from the North-Eastern Region can be diverted to non-surplus areas of the Southern Region.

The infrastructure facilities for power sector in Southern Region should be improved.

Power should be supplied by the Government alone. In this way, the consumers will get the required quantity of power.

I also foresee the possibility of these projects being delayed because the appreciation in the price of land by private people will definitely undo the execution of the projects. Therefore, the scheme may be totally not being implemented in time.

Again, line loss is the major drawback in the transmission system. I would like to know the modalities that he has adopted to prevent this line loss.

The Bill also does not contain the modalities to fulfil the social objective of supply of free power to the farming community and also to Scheduled Castes and the downtrodden people.

I urge upon the hon. Minister to clarify all these doubts, but still I support this Bill.

Last but not least, on behalf of the people of Tamil Nadu and on behalf of my Idaya Deivam Puratchi Thalaivi, I urge upon the Government and also the hon. Prime Minister to find a permanent solution to the Cauvery Water Dispute on 12th August, 1998.

">DR. T. SUBBARAMI REDDY (VISAKHAPATNAM): Sir, I am very happy that the hon. Minister has taken a renewed interest to control the leakages in the transmission of power. We all know that there is an acute shortage of power in the entire nation today. It is a known fact and I need not repeat that indirectly the entire industrial growth, the GDP growth, the control of fiscal deficit, everything depends on power generation. If power is not available, the entire country's progress will come to a standstill. This is a known fact.

For several decades we have been suffering and day by day the power shortage is becoming very acute. To control this, we need to make the generation, transmission and also distribution systems very effective. In fact, in the Eighth Plan, we have miserably failed. Even though we were supposed to generate more than 30,000 MW of power, we could hardly generate 14,522 MW. In the Ninth Plan, we are dreaming to generate 40,000 MW, which is a welcome step, but I shall come to that point later. In the meanwhile, I am very happy that they want to achieve perfection in the transmission system through public or private enterprise. Two days back, several Members were objecting to privatisation. This is not correct. My point is, it is not a question of private or public, we want the best results for the country. We want the problems to be solved and to see that a perfect system is achieved. Today, when the entire world is progressing, if we still say that private sector is not good or public sector is not good, it is really very sad. We must have a philosophy of achieving a perfect goal which is most amicable, useful and gives good results to the country. Therefore, one of the reasons for moving this Bill is that they want to invite the private sector in the field of transmission. If we want to achieve the maximum goal in the field of transmission, certainly you need more than Rs.30,000 crore, which the Government cannot afford. So, if good private international parties come forward through global system, that is a welcome step. They must boldly introduce this system in various parts of the country. They should also invite and inspire various parties from all over the world and give them opportunity to make the transmission system perfect.

It is a very sad news that in India, the transmission loss is 21-22 per cent, whereas in other countries of the world it is only 6-7 per cent. Actually, for the last 12-13 years, the losses have been going up, not coming down. So, I would like Shri Rangarajan to tell us how he is going to control this and what is his optimistic philosophical dream to minimise the transmission loss.

Besides transmission, distribution also is very important. There is perhaps nothing wrong in privatising the distribution system also if a full-fledged, competitive and also economical approach is available and if there are many people readily available to make the system more economical than today.

To achieve this, generation is the most important thing. Why have we failed in the Eighth Plan miserably? Of the target of 30,000 and odd megawatts, we got only 14,000 megawatts. In the Ninth Plan, we want to achieve the

target of 40,000 megawatts. Due to red-tapism, no decision could be taken. There is no coordination. There is a delay in land acquisition and decision-making in respect of various matters. Then, there are problems relating to environment, entrusting various things to agencies and getting loans from various institutions. There are various problems. Even today, nothing is moving much.

In fact in the month of April, the Prime Minister had convened a meeting of the Ministry of Finance, Ministry of Energy and other concerned Ministries. I am happy to know about that. It is already given here.

A few days back, Shri Kumaramangalam had assured us that he would see that most of the projects were cleared, and started. In fact, he had also committed in regard to the proposed project in my constituency that it would start immediately. Moreover, he gave a categorical assurance in this House that by the end of this month, he would be able to give guarantees and solve all the problems, and that the projects would be able to start. I hope that he will be able to achieve this. There are hardly ten days left. I shall be very happy if while replying, he once again assures the House and informs about the progress made in the Ministry of Energy in consultation with the Ministry of Finance and other concerned Ministries. This will be appreciated.

Lastly, I want Shri Rangarajan to dynamically achieve the greatest dream of the people of India to have the best systems in generation, transmission and distribution.

">

१५४७ बजे

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): सभापति महोदय, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली अधिनियम, १९१० और बिजली अधिनियम, १९४८ को संशोधित करने का जो बिल लाया गया है, यह निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। बिजली अधिनियम, १९१० अंग्रेजों के जमाने का है। उस समय विद्युत उत्पादन की, पारेक्षण की और वितरण की सारी व्यवस्था एक जगह केन्द्रित रहती थी। उस समय सारा काम निजी क्षेत्र में होता था। १९४८ में जब इस बिल का संशोधन हुआ, उस समय पारेषण, वितरण और उत्पादन अलग-अलग व्यवस्थित किये गए।

मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय यह लगा कि बहुत दिनों से हर कार्पोरेशन को या तो निजी व्यवस्था में लाने की अथवा नेशनलाइज करने की प्रक्रिया चल रही है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं तो देश में राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था बड़ी धूमधाम से मनायी गई। उनके समय में बैंकों, कोयले और बिजली का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया। उस समय सारे उद्योग, कार्पोरेशन और बाकी दूसरी व्यवस्था राष्ट्रीयकृत न होकर सरकारीकृत हुई। अब यह भी इसके रोगी हो गए हैं। अब पारेषण की व्यवस्था अलग से करने की चर्चा चली है।

... (व्यवधान)

इसकी उस समय जरूरत पड़ती है, जब मल्टी नेशनल्स का प्रवेश होता है।

राजीव गांधी जी और नरसिंह राव जी का २१वीं शताब्दी में कूदने का बहुत बड़ा सपना था। उनका कहना था कि विदेशी कम्पनियों को यहां आना चाहिए। उन्हें अमेरिका का सुनहरा सपना दिखायी देता था। हम भी भूले भटके अमेरिका का सुनहरा सपना देखते थे। नरसिंह राव जी के समय उदारीकरण की व्यवस्था चली। उस समय ऐसा लगा कि सारी सरकारी और पारिवारिक व्यवस्था उदार हो जाएगी। अब निजीकरण की व्यवस्था हो रही है। इसके बाद निजी व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत करने की चर्चा होगी।

सभापति महोदय, मैं निजी व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं लेकिन कोई व्यवस्था बनाई जानी चाहिये जो हमारे लोक जीवन को सुविधासम्पन्न बना सके। हमारे हिन्दुस्तान के गांवों में किसानों को बिजली प्राप्त करने में कहां कठिनाई आ रही है, इसी चिन्ता को सामने रखकर हमारे ऊर्जा मंत्री यह बिल लाये हैं ताकि किसानों को बिजली मिल सके, वे खेती कर सकें, उद्योग-धंधे ठीक से चल सकें लेकिन इस देश में व्यापार करने वाले तथा औद्योगिक घरानों के लिए बिजली देने की दूसरी तरह व्यवस्था है, किसान के लिये कोई और तरह की व्यवस्था की जाती है।

सभापति महोदय, यह बिल तो पास हो जायेगा, कानून भी बन जायेगा लेकिन ऊर्जा मंत्री जी को किसानों की चिन्ता करनी चाहिये। आज यदि एक किसान पर बिजली का ५०० रुपया भी बकाया रह जाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है लेकिन बड़े-बड़े साहूकारों का बिजली का पैसा माफ हो जाता है। आज भी बड़े उद्योंगपतियों पर २०-२० करोड़ रुपया बिजली का बाकी है। अभी यहां पर बिजली पारेषण में चोरी की बात हो रही थी जिससे विभाग को हानि होती है। लेकिन मैं कहता हूं कि यह हानि नहीं बल्कि बिजली की चोरी होती है। एक टैक्नीकल शब्द - प्लांट लोड फैक्टर होता है जिससे विद्युत उत्पादन की क्षमता मापते हैं। मेरा कहना है कि वह प्लांट लोड फैक्टर इसलिये कम होता है कि अधिकारी कारखाने के मालिकों से मिलकर बिजली की चोरी करते हैं और कहते हैं कि सम्प्रेषण में विद्युत कम हो गई, इलैक्ट्रिसिटी लॉस हो गया। मेरा ऊर्जा मंत्री से निवेदन है कि कानून बनाने से पहले थोड़ा इस बारे में चिन्ता कर लें। यदि कानून में यह व्यवस्था शामिल हो जाये तो एक बहुत बड़ा काम होगा।

हम लोग इस बिल का समर्थन करेंगे, सारा सदन इसका समर्थन करेगा और फिर यह कानून बन जायेगा। कानून बनने के बाद आप वितरण की व्यवस्था करेंगे और देखेंगे कि राजस्व की वसूली कैसे करनी है। आप सम्प्रेषण और पारेषण लाइन बनाने की व्यवस्था निजी हाथों में दे रहे हैं, यह कब बनेगी? जब तक ट्रांसमिशन लाइनें नहीं बनेगी, काम चलने वाला नहीं है। सार्वजनिक पैसे से बना हुआ ट्रांसमिशन उनके हाथों में न चला जाये क्योंकि हमने कोयला क्षेत्र के अंदर एन. टी.पी.सी. में देखा है कि वहां सार्वजनिक पैसे से बनी हुई चीजों का प्रयोग करते हैं। इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि ट्रांसमिशन निजी क्षेत्र में जाता है तो निजी क्षेत्र का पैसा लगना चाहिये। निजी क्षेत्र जो ट्रांसमिशन लाइन बनाये, उसी का प्रयोग करे। यदि वे सार्वजनिक पैसे से बनी हुई ट्रांसमिशन लाईन का प्रयोग करते हैं तो कानून में प्रावधान होना चाहिये कि अगर वे इसका दुरुपयोग करते हैं तो इसके लिये अपराधी होंगे।

सभापति महोदय, मैं बहुत कम समय में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र में जिस किसी भी दल की सरकार आती है जैसे आज बी.जे.पी. के नेतृत्व वाली सरकार है, इसके पहले श्री गुजराल के नेतृत्व वाली सरकार थी या उसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। जिस किसी क्षेत्र का बिजली मंत्री आता है, उसके क्षेत्र में ज्यादा बिजलीघर लगते हैं। अब साउथ में बिजलीघर ज्यादा लगेगे...

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): और रेल मंत्री..

श्री वीरेन्द्र सिंह :रेल मंत्री बिहार के हुये हैं - जैसे श्री राम विलास पासवान आपके साथ थे।

... (व्यवधान)

.. साउथ से मेरी घृणा नहीं है लेकिन सब को समान भाव से देखा जाना चाहिये। मेरा विरोध और चिन्ता इसलिये है।

विद्युत मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम): इसका मतलब है दक्षिण के मंत्री को देना चाहिये

... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि बिजली उत्पादन करने की क्षमता उत्तरी क्षेत्र में कितनी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंगरौली थर्मल पॉवर स्टेशन है, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन है, विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, अनपारा थर्मल पावर है, ओबरा है, फिर रायबरेली का ऊंचाहार है, ये सब थर्मल पॉवर स्टेशन हैं। यहां जितनी बिजली पैदा होती है, उसके ट्रांसमिशन के लिए मज़बूत लाइनें नहीं हैं जिससे बिजली ठीक से ट्रांसमिट हो। मैंने टेक्निकल पढ़ाई नहीं की है लेकिन अनुभव की पढ़ाई मैंने ज़रूर की है। मुझे जो जानकारी है वह यह है कि ट्रांसमिशन लाइन्स दक्षिणी भारत में ज्यादा इसलिए बनाई गईं कि यहां जो बिजली पैदा हो, उसे ले जाने की व्यवस्था दक्षिणी भारत में हो। मैं कहना चाहता हूं कि आप तुलनात्मक आंकड़े पुस्तकालय में देख लीजिए तो पाएंगे कि बिजली का उपभोग और उपलब्धता जितनी दक्षिणी भारत में है, उतनी उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत का किसान चाहे वह बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, बिजली की अनुपलब्धता के कारण उसका उत्पादन गिरता हुआ दिखता है। सिंचाई के अभाव में उसकी खेती मारी जाती है।

SHRI K. VIJAYABHASKARA REDDY (KURNOOL): It is not the question of South or North.

श्री वीरेन्द्र सिंह यह अंतर है और वह अंतर रेकार्ड पर है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मैं रेकार्ड देखकर प्रामाणिकता से कह रहा हूं।

श्री राजेश पायलट (दौसा) : साउथ में बुरा हाल है।

श्री वीरेन्द्र सिंह वह व्यवस्था के कारण है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइनें वहां ज्यादा हैं। जितनी बिजली पैदा नहीं होती, उससे ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। मेरे पास इसके रेकार्ड हैं। आप भी बिजली मंत्री रहे हैं, आप भी जानते हैं।

मैं एक निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह कानून बनने से पहले आप इस कानून में एक लाइन मेरी तरफ से ज़रूर जोड़ दीजिएगा, मैं समझता हूं कि पूरे सदन की उस पर एक राय होगी कि इस देश में किसानों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा और आप भी ऐतिहासिक ऊर्जा मंत्री बन जाएंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, राष्ट्र के विकास के लिए ऊर्जा का बहुत महत्व है और हमारे लोकतंत्र के संस्थापकों ने इसका ध्यान रखा था। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा था कि देश को प्रचुर ऊर्जा मिले जिससे देश का उत्थान हो सके परंतु ऐसा लगता है कि समय-समय पर आने वाली सरकारों ने इसको अपने स्थायित्व से जोड़ लिया। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, ४० साल तक उनकी सरकार चलती रही, तब ऐसी परियोजनाओं की कल्पना की जाती थी जो १०-१५ साल में पूरी हो सकें जैसे पन-बिजली योजनाएं। बाद में सरकारें पांच साल तक चलीं तो ऐसी परियोजनाओं की कल्पना की गई जो पांच साल में पूरी हो जाएं। ताप बिजली की परिकल्पना उसी समय में की गई और अब जब सरकार एक-डेढ़ साल चलती है तो इतने ही समय में परियोजना पूरी होने की कल्पना की जाती है और तभी नैप्था आधारित ऊर्जा उत्पन्न करने की बात होती है।

16.00 hrs.

मेरा कहना है कि देश के विकास के लिए एडहॉकिज्म नहीं चलता है। समग्र विकास के लिए सब परिस्थितियों और सब समस्याओं को ध्यान में रखकर ही सोचा जाना चाहिए। जिस समय हम ऊर्जा की बात सोचते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि जितना हम जनरेट करेंगे उसका पारेषण, ट्रांसमीशन और वितरण हो और उसी हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन हो जिससे कि ऊर्जा कही भी बेकार न जाए। इसको देश के बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई से भी जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम पनबिजली योजना की बात सोचेंगे तो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई उसमें अपने आप आ जायेंगे। मान्य सिद्धांत के अनुसार जनरेशन, ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलैक्ट्रिफिकेशन ४:२:१:१ के अनुपात में होना चाहिए और इसी हिसाब से हमें अपनी योजना बनानी चाहिए। प्लानिंग कमीशन की सेवा की सुविधा आपको उपलब्ध है। प्लानिंग कमीशन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पारेषण के लिए यह विधेयक लाया गया है। बिहार शरीफ से मऊ तक एक पारेषण लाइन अभी निर्माणाधीन है। मेरा सुझाव है कि इसको बिहार शरीफ से मऊ तक डायरेक्ट न करके मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार होते हुए लिया जाए, जिससे कि उत्तर बिहार को भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उत्तर बिहार की मांग ४०० के.वी.ए. है और मै समझता हूं कि अगर यह ट्रांसमीशन लाइन मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार होते हुए जाए तो वहां की तात्कालिक मांग पूरी हो सकती है। परंतु जब हम पारेषण की बात करते हैं उसमें जो हानि होती है, मेरा मतलब ट्रांसमीशन लॉस से है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मैं राज्य सभा के एक प्रश्न का उत्तर देख रहा था

"Q. No. 2382 to be answered in Rajya Sabha on 7.7.1998 regarding losses occurred due to demand and faulty transmission lines."

जब मैं इसकी सूची को देख रहा था तो मुझे ठडेसू' में जो बिजली का ट्रांसमीशन लॉस होता है, उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को ध्यान इस प्रश्न के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं - वर्ष १९९१-९२ में २४.३५ प्रतिशत, १९९२-९३ में २३.५६ प्रतिशत, १९९३-९४ में ३१.७९ प्रतिशत, १९९४-९५ में ३४.५६ प्रतिशत, १९९५-९६ में ४८.५७ प्रतिशत हो गया, जबकि और राज्यों में ट्रांसमीशन लॉस करीब-करीब यथावत है, दो-चार प्वाइंट इधर-उधर हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह लॉस नहीं है। प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्पष्ट किया था -

"including commercial losses such as pilferage etc."

पिलफरेज को हम लॉस कैसे मान लें दिल्ली में जबकि साधारण लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, बिजली की कमी को सभी लोग अनुभव करते हैं। दिल्ली के फार्म हाउसेज में देखिये कितनी अधिक बिजली चोरी होती है। जब हम पारेषण में लॉसेज की बात सोचेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इसको नियंत्रित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं अपने राज्य की व्यथा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश के ८५ प्रतिशत गांवों में बिजलीकरण हो गया है, परन्तु बिहार में रिकार्ड पर केवल ४६ प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण हुआ है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सिर्फ ३२ प्रतिशत गांवों में बिजली दी जा चुकी है। यानी रिकार्ड पर ४६ और वास्तव में ३२ प्रतिशत गांवों का बिजलीकरण हुआ है। अब बिहार के गांवों में बिजलीकरण नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं हैं कि गांवों का बिजलीकरण किया जा सके। कुछ दिन पहले १९७९ में बिहार बिजली बोर्ड ने ... (व्यवधान)

SHRI P.S. GHATOWAR (DIBRUGARH): We have to take up Discussion under Rule 193 at 4 o'clock after this. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN According to the Business Advisory Committee, the time fixed for discussion under Rule 193 is 4 p.m. But according to the hon. Minister of Power, a request has been made by him to extend the time for discussion of the Electricity Bill so that Discussion under 193 can be taken up after the disposal of Electricity Bill.

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, करोडों की संख्या में देश की जनता बाढ़ से प्रभावित हो रही है, लोग मर रहे हैं और लोग परेशान हैं। इस बिल को बाद में पास कर लिया जाए। पहले बाढ़ पर चर्चा की जाए।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (GUWAHATI): This House stands by the decision of the BAC. It cannot be ignored.

SHRI MOHAN SINGH Let us start Discussion under 193.

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House to start Discussion under Rule 193 just now?

SHRI BHUBANESWAR KALITA Let us complete this discussion in another 15 minutes.(Interruptions)

SHRI KONIJETI ROSAIAH (NARASARAOPET): Yesterday there could not be discussion on this. Let it be completed first. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Do you want Discussion under Rule 193 or do you want to continue with the discussion on this Bill?

SHRI BHUBANESWAR KALITA You go by the decision of the BAC. Nobody can supersede decision of the BAC.

SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: Nobody can supersede any decision. It is the House which can take the decision. It was the recommendation of the BAC that it should be taken up at 4 o'clock. I had made a request and the House then agreed. Obviously,at the moment, if the House has disagrees, I have no problem. We can have it tomorrow. If the hon. Members want to have Discussion under 193 today, I have no objection. But my request is that they should consider passing this Bill at least tomorrow because this is a Bill which has come about with unanimity of the Standing Committee. It is a very important Bill. Let it not be treated as irrelevant. That is all I want to say.

SHRI BHUBANESWAR KALITA This Bill can be discussed today after 193.

SHRI P. R. KUMARAMANGALAM: Will the hon. Members agree to sit late? (Interruptions)

SHRI P. R. KUMARAMANGALAM:The discussion on this Bill had been heard on Monday. We had Discussion under Rule 193 yesterday at 3 o'clock. So, the discussion on this Bill could not come up. Today we are having Discussion under Rule 193 at 4 o'clock. The discussion on this Bill is now being postponed.

Tomorrow, again, we will have another Discussion under Rule 193. It is as good as saying that let us not take up Bills...(Interruptions)

SHRI MOTILAL VORA (RAJNANDGAON): We want you to take up the Bills tomorrow. Today, let us take up the Discussion under Rule 193...(Interruptions)

श्री मोहन सिंह सभापति जी, करोड़ों लोग बाढ़ से मर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी): सभापति जी, पहले आप इस बिल को पास करा दीजिए।

... (व्यवधान)

उसके बाद आप नियम १९३ ले लीजिए।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN I think the House is divided.

... (Interruptions)

PROF. P.J. KURIEN Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister need not be apprehensive of getting the Bill passed. We assure that we will support him in passing the Bill. I say this with all responsibility...(Interruptions) Shri Kumaramangalam, we assure you that we will support you in passing the Bill. But some of our Members have given their names. They also want to express their views. It is only a question of giving time to them... (Interruptions) Let me complete it. If time can be given today, we can pass the Bill. Or, if the Chair desires that time should be given tomorrow, we can pass the Bill tomorrow. Nothing will happen. I assure you that it will be passed...(Interruptions) Shri Kumaramangalam, today or tomorrow does not make much of a difference. I know about it. You are my good friend. Why are you apprehensive?...(Interruptions)

SHRI V.V. RAGHAVAN (TRICHUR): The natural calamity is an urgent matter. It cannot be postponed... (Interruptions)

SHRI P.R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, Sir, I have no problem. We can pass it tomorrow. We can hear everybody because every word of every Member is a great contribution, according to me. It is a very fundamental issue of power. So, I do not want to stop any Member or cut any Member from speaking. But my only worry is that if everyday we have a Discussion under Rule 193, this Bill will never be passed...(Interruptions) At least, tomorrow, give this item priority over the Discussion under Rule 193. At least tomorrow it should be passed...(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All right. We will now take up Discussion under Rule 193.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (SAMASTIPUR): What about me? I have not completed it.

MR. CHAIRMAN: I will allow you time.

">